

न्यायालय अवर न्यायाधीश, बलिया

दिवानी वाद संख्या— 69/18

हरिनंदन सिंह बनाम सतीश कुमार

20/11/2019 वादी का हाजरी है। वादी की ओर से दिनांक— 25/09/2019 को दाखिल आवेदन पर वादी के अधिवक्ता को सुना। उनका निवेदन है कि टंकण की गलतियां के कारण वाद पत्र में कुछ अशुद्धियां रह गई हैं। जिन्हें दूर किया जाना आवश्यक है। अतः इसकी अनुमति देने की कृपा की जाए।

सुना, अभिलेख अवलोकन किया यह वाद एकपक्षीय सुनवाई हेतु चल रहा है तथा वादी की ओर से दाखिल संशोधन औपचारिक प्रकृति का है। अतः वादी का संशोधन आवेदन दिनांक— 25/09/2019 न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वाद दिनांक— 19/12/2019 वास्ते अग्रेतर कार्यवाही।

लेखापित

अवर न्यायाधीश, बलिया